



# राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ

डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि/रा०से०यो०/2160 /2019

दिनांक: 20 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,  
राष्ट्रीय सेवा योजना,  
डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,  
अयोध्या से सम्बद्ध सभी सम्बन्धित महाविद्यालय।

विषय:- विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2020-नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी रणनीति।

महादय/महोदया,

कृपया संलग्न उक्त जिला निर्वाचन अधिकारी अयोध्या के पत्र संख्या-556/पुनरीक्षण निर्वाचन-2020/बैठक दिनांक 19 दिसम्बर, 2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अर्न्तगत विधानसभा निर्वाचन नामावलियों का नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिए दिनांक 01/01/2020 को निर्धारित मानक रखते हैं संक्षिप्त पुनरीक्षण 2020 किया जा रहा है।

अतः संलग्न पत्र में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें, तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उक्तवत

भवदीय,

डॉ० (समीर सिन्हा)

रा०से०यो० कार्यक्रम समन्वयक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ:-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।

✓ 2. ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

डॉ० (समीर सिन्हा)

रा०से०यो० कार्यक्रम समन्वयक



## कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अयोध्या।

संख्या- 556 / पुनरीक्षण निर्वाचन-2020 / बैठक

दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

समस्त उप जिलाधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी /  
समस्त तहसीलदार / सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,  
जनपद-अयोध्या।

**विषय: विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का संक्षिप्त पुनरीक्षण-2020-नये मतदाताओं के पंजीकरण के लिये प्रभावी रणनीति।**

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-2314 / सीईओ-4-53 / 4-2019 दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 जो इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या-517 दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 द्वारा ई-मेल/व्हाट्सएप/डाक के माध्यम से आप सभी को प्रेषित किया जा चुका है एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-2364 / सीईओ-4-53 / 4-2019 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 जो इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या-536 दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा ई-मेल/व्हाट्सएप/डाक के माध्यम से आप सभी को प्रेषित किया जा चुका है का संन्दर्भ लेने का कष्ट करें। उक्त दिनांक 13 दिसम्बर, 2019 द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके आधार पर अर्हता तिथि 01.01.2020 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आलेख्य प्रकाशन दिनांक 16.12.2019 के स्थान पर दिनांक 23.12.2019 निर्धारित किया गया है।

2- इसी प्रकार दावे और आपत्तियाँ प्राप्त करने की अवधि जो दिनांक 16.12.2019 से दिनांक 15.01.2020 तक थी, को संशोधित कार्यक्रमानुसार दिनांक 23.12.2019 से दिनांक 22.01.2020 तक कर दी गयी है।

3- भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01.01.2020 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 07.02.2020 के स्थान पर अब दिनांक 14.02.2020 को किया जायेगा।

4- पत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2019 में दिये गये निर्देशानुसार अधिक से अधिक संख्या में मतदाताओं के पंजीकरण के लिये निम्न बिन्दुओं के अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

- समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक "कोआर्डिनेटर" एवं "हेल्पडेस्क" की स्थापना करायी जाय तथा प्रत्येक कक्षा में इसकी घोषणा भी कराया दी जाय। प्रत्येक कक्षा के लिये फार्म भरने हेतु एक तिथि व समय निर्धारित कर दिया जाय ताकि पात्र छात्र सुविधाजनक ढंग से फार्म भर सकें। शिक्षण संस्था में फार्म उपलब्ध करा दिये जाय।
- संस्थानों द्वारा नामित किये गये कोआर्डिनेटर के नाम एवं उनके मोबाइल नम्बर आदि जिला निर्वाचन कार्यालय तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के पास उपलब्ध रहें ताकि किसी कठिनाई की दशा में वह सम्बन्धित से सम्पर्क कर सकें।
- राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) का विशेष सहयोग लिया जाय और शैक्षणिक संस्था में एनएसएस कोआर्डिनेटर विद्यमान होने की दशा में उन्हें ही पंजीकरण कोआर्डिनेटर के रूप में नामित किया जाय।
- दिनांक 23 दिसम्बर, 2019 के आलेख्य प्रकाशन किया जाना है। दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 को शिक्षण संस्थानों में एक कार्यक्रम आयोजित कराके मतदाता रजिस्ट्रेशन कार्यक्रम का शुभारम्भ किया जाना है।



इस सन्दर्भ में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 (शनिवार), को अपरान्ह 1-00 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनपद स्तरीय इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सदस्यों एवं कालेजों/शिक्षण संस्थानों में स्थापित किये गये Electoral Literacy Clubs, के नोडल आफिसरों के साथ एक आवश्यक बैठक आहूत की गयी है।

आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार, दिये गये निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन करते हुये समस्त सम्बन्धितों के संज्ञान में लाते हुये अपनी तहसील के अन्तर्गत आने वाले समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्ट्रेशन हेतु एक "कोआर्डिनेटर" एवं "हेल्पडेस्क" की स्थापना कराते हुये सूची एवं कालेजों/शिक्षण संस्थानों में स्थापित किये गये Electoral Literacy Clubs, के नोडल आफिसरों की सूची तथा समस्त कोआर्डिनेटर/ कालेजों/शिक्षण संस्थानों में स्थापित किये गये Electoral Literacy Clubs, के नोडल आफिसरों के साथ दिनांक 21 दिसम्बर, 2019 आहूत बैठक में स्वयं भी ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,  
अयोध्या।

#### संख्या व दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।
2. नोडल/सहायक नोडल अधिकारी, स्वीप जनपद-अयोध्या।
3. कुल सचिव, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या कृपया अपने स्तर से भी समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे बैठक में ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, अयोध्या को इस निर्देश के साथ कि समस्त इण्टर कालेजों के प्रधानाचार्यों को निर्देशित करें कि वे दिनांक 21.12.2019 को आहूत बैठक में ससमय प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें और स्वयं भी बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
5. प्राचार्य/प्राचार्या/प्रधानाचार्य समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी स्नातक एवं परास्नातक शिक्षण संस्थानों/कालेजों को इस निर्देश के साथ उपरोक्तानुसार कोआर्डिनेटर/Electoral Literacy Clubs, के नोडल, आफिसरों को निर्देशित करें कि वे ससमय बैठक में प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें।
6. नाजिर कलेक्ट्रेट, अयोध्या।
7. समस्त तृतीय श्रेणी कर्मचारी जिला निर्वाचन कार्यालय, अयोध्या।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,  
अयोध्या।